

**NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF COMMERCE  
DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY  
Raleigh, North Carolina**

**Notice To Workers of a Seasonal Determination  
For**

---

**For Operations Located at**

---

उपरोक्त नामित नियोक्ता ने रोजगार सुरक्षा कानून के तहत सीजनल लक्ष्य के रूप में एक दृढ़ संकल्प का अनुरोध किया है। प्रस्तुत तथ्यों से, रोजगार सुरक्षा विभाग ने पाया है कि, सीजनल शर्तों के कारण, नियोक्ता नियमित रूप से एक कैलेंडर वर्ष में एक नियमित रूप से आवर्ती अवधि या 36 सप्ताह के कुल समय से कम अवधि के साथ ही उत्पादन कार्यों को जारी रखता है।

इसलिए, रोजगार सुरक्षा विभाग ने निर्धारित किया है कि सीजनल गतिविधियां सक्रिय अवधि के दौरान चल रही हैं जो निम्नलिखित पर \_\_\_\_\_ शुरू होती हैं और \_\_\_\_\_ पर समाप्त होती हैं।

इस निर्धारण के \_\_\_\_\_ संचालन के लिए लागू होता है।

कोई कार्यकर्ता जो सीजनल कार्य में अपने मूल अवधि के वेतन का 25% कमाता है, उसे सीजनल कार्यकर्ता माना जाएगा। ऐसी आय को "सीजनल आय" कहा जाता है। वह मूल अवधि के दौरान ऑफ-सीजन या किसी अन्य नियोक्ता के लिए भी काम कर सकता है और उसे "गैर-सीजनल" वेतन दिया जाता है। सीजनल वेतन के आधार पर बेरोजगारी बीमा लाभ को केवल सीजनल अवधि के दौरान भुगतान किया जा सकता है। गैर-सीजनल मजदूरी पर आधारित लाभ सीजनल लाभ समाप्त होने के बाद ऑफ-सीजन के दौरान या सीजनल अवधि के दौरान भुगतान किया जा सकता है। (N.C.G.S. 96-16 (e) और (f))

उपर्युक्त नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई भी कार्यकर्ता जो मानता है कि यह निर्धारण गलत है, क्योंकि वह पहले से सीजनल अवधि की शुरुआत की तारीख के 10 दिनों के भीतर रोजगार सुरक्षा विभाग को लिखकर इस निर्धारण का विरोध कर सकता है, और लाभ के लिए प्रस्तुत तथ्यों पर उसके अधिकार निर्धारित किए जाएंगे। कोई भी विरोध को वाणिज्य के North Carolina डिपार्टमेंट, रोजगार सुरक्षा विभाग P.O. Box 25903 Raleigh, North Carolina 27611 पर किये जाने चाहिए।

रोजगार निर्धारण विभाग की ओर से बदलने तक यही निर्धारण जारी रहेगा, चाहे अपनी गति पर या हितार्थी पार्टी द्वारा उचित प्रदर्शन पर हो।

**North Carolina वाणिज्य विभाग  
रोजगार सुरक्षा विभाग**

दिनांक \_\_\_\_\_

NCUI 543 (Rev. 05-98)

---

विशेष सहायक